कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

क्रमांकः– 866 दिनांकः– 26/06/23

विज्ञप्ति संख्या 01/2023

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244–63 जयपुर,दिनांक 12.01.2023 के अनुसरण में जिले की निम्नांकित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन ग्राम पंचायतो/वार्डो में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

परियोजनावार रिक्त पदों की सूचना :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यकर्ता	मिनी कार्यकर्ता	सहायिका	कुल पद	ई–मेल आईडी
1	बांदीकुई प्रथम	1	0	3	4	ICDS.BANDIKUII@RAJASTHAN.GOV.IN
2	बांदीकुई द्वितीय	1	0	3	4	ICDS.BANDIKUIII@RAJASTHAN.GOV.IN
3	दौसा	2	0	5	7	ICDS.DAUSA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	लालसोट	0	0	2	2	ICDS.LALSOT@RAJASTHAN.GOV.IN
5	लवाण	2	0	7	9	ICDS.LAWAN@RAJASTHAN.GOV.IN
6	महवा	6	0	2	8	ICDS.SIKRAI@RAJASTHAN.GOV.IN
7	सिकराय	1	0	5	6	ICDS.MAHUWA@RAJASTHAN.GOV.IN
योग		13	0	27	40	

नोटः–रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी/शर्तें उप निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 सांय 5.00 बजे तक है।

26/6/2023
(डॉ. धर्मवीर)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

क्रमांक 867–97 दिनांक 26/06/2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,दौसा।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,दौसा।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. विकास अधिकारी समस्त जिला दौसा।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरपरिषद/नगरपालिका–दौसा/बांदीकुई/मण्डावर।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला दौसा को भेजकर लेख है उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी संबंधित पंचायत समितियों और नगरपरिषद/नगरपालिका मुख्यालयों एवं रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
8. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, दौसा को डी.आई.पी.आर दरों पर दौसा जिले के स्थानीय संस्करण में प्रकाशनार्थ।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड/लेखा शाखा/बिल शाखा/संस्थापन/रक्षित पत्रावली।

26/6/2023
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

परियोजनावार रिक्त पदों का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	परियोजना	ग्राम पंचायत / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	आं0बा0 केन्द्र का नाम	रिक्त पद		आरक्षित वर्ग
				कार्यकर्ता	सहायिका	
1	बांदीकुई प्रथम	नारायणपुरा	बाढबिशनपुरा	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
2		गुल्लाना	गुल्लाना 2	–	सहायिका	अनारक्षित
3		नगरपालिका बांदीकुई	वार्ड न. 5–6	–	सहायिका	एससी
4		गोलाडा	गोलाडा–1	–	सहायिका	अनारक्षित
5	बांदीकुई–द्वितीय	नगरपालिका बांदीकुई	बाढ बगीची 01	–	सहायिका	एससी
6		नगरपालिका बांदीकुई	बाढबगीची 02	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
7		बडियाल खुर्द	बडियाल खुर्द	–	सहायिका	अनारक्षित
8		पीचूपाडा खुर्द	पीचूपाडा खुर्द 01	–	सहायिका	अनारक्षित
9	दौसा	नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 06	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
10		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 24	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
11		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 21	–	सहायिका	अनारक्षित
12		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 26–द्वितीय	–	सहायिका	अनारक्षित
13		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 16	–	सहायिका	अल्पसंख्यक
14		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 23–द्वितीय	–	सहायिका	अल्पसंख्यक
15		नगरपरिषद, दौसा	केन्द्र संख्या 28	–	सहायिका	एससी
16	लालसोट	गोपालपुरा	गोपालपुरा	–	सहायिका	एसटी
17		रालावास	रालावास	–	सहायिका	एसटी
18	लवाण	पापडदा	पापडदा 1	–	सहायिका	अनारक्षित
19		प्यारीवास	राजपुरा	–	सहायिका	एसटी
20		लवाण	लवाण 1	–	सहायिका	अनारक्षित
21		ढिगारिया	कोटापट्टी	–	सहायिका	एसटी
22		कंवरपुरा	बूटोली	–	सहायिका	एससी
23		बनियाना	बनियाना 1	–	सहायिका	अनारक्षित
24		चूडियावास	सवाईपुरा	–	सहायिका	अनारक्षित
25		श्यालावास	भगलाव	कार्यकर्ता	–	एसटी
26		खवारावजी	खवारावजी 1	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
27	महवा	सालिमपुर	टोडरा	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
28		नगरपालिका मण्डावर	मण्डावर 4	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
29		कोट	कोट 2	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
30		खेडला गदाली	टिकरी जाफरान	कार्यकर्ता	–	एसटी
31		जटवाडा	नांगल सुमेरसिंह	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
32		बालाहेडी	हांसिलपुर	कार्यकर्ता	–	अनारक्षित
33		पाटोली	पाटोली 2	–	सहायिका	अनारक्षित
34		रामगढ	रामगढ 2	–	सहायिका	एससी
35	सिकराय	करोडी	करोडी 2	कार्यकर्ता	–	एसटी
36		गीजगढ	गीजगढ–5	–	सहायिका	अनारक्षित
37		गांगदवाडी	गांगदवाडी 2	–	सहायिका	एसटी
38		सिकन्दरा	सिकन्दरा 7	–	सहायिका	अनारक्षित
39		भण्डारी	डोलिका 1	–	सहायिका	अनारक्षित
40		भण्डारी	भण्डारी 1	–	सहायिका	अनारक्षित

नोटः– शहरी क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत वार्ड के अनुसार रिक्त पद अंकित किये हुये है। परिसीमन उपरान्त नवीन वार्ड संख्या भिन्न हो सकती है। जिसकी जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

26/6/2024

चयन हेतु वांछित पात्रताः–

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदां महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जायगा।
2. स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जावें।
3. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
4. शहरी क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र के लिए आंगनबाडी केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नही किये जाने की दशा में ही निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
5. आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण विवाहित महिला ही आवेदन क सकती है।
6. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहि विधवा, तलाकशुदा ,परित्यकता, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से .. वर्ष तक की होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
7. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र व पुनर्विवाह नही किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
8. परित्यकता एवं तलाकशुदा की स्थिति के सक्षम स्तर न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि से जारी आदेश/डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावें।
9. **यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नही होगा।**
10. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रिमी लेयर में नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा । एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन क्रीमी लेयर संबंधी सत्यापित शपथ पत्र लेक पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।) अर्थात् आवेद महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पू तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे। इसके सबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होगें।
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income and Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। EWS के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का EWS का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे एवं इसके सबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।
13. रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओं कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट http://wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
14. आवेदन. फार्म ऑफलाइन संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में दो प्रतियों में अंतिम तिथी 26.07.2023 सांय 5.00 बजे तक व्यक्तिशः जमा कराये जायेंगे एवं आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेवे।
15. आवेदन पत्र के साथ (1) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/दिव्यांग (5) आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (6) आर.एस.सी.आई.टी/पी.जी.डी.सी.ए इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।
16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करवाये जाने के पश्चात् त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी–पूर्ति हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया .जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अन्तिम तिथी के पश्चात् किसी भी प्रकार का दस्तावेज को शामिल नही किया जावेगा।

26/6/2023

(डॉ. धर्मवीर)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा